सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 31, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 22, 2023 *Sravana 31, Tuesday , Saka 1945- August 22, 2023*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2023

संख्या प.2(40)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 22)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई)

न्यास की स्थापना और न्यास के नियंत्रण के अधीन संग्रहालय चलाने और उसका संधारण, आगन्तुकों को अधिकतम सुविधा देने, गांधीवादी कार्यों और समाज की बेहतरी हेतु स्वयंसेवा की अभिवृद्धि करने के लिए, संग्रहालय का और उसमें की समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियों का आवश्यकता के अनुसार प्रत्यावर्तन, संरक्षण और प्रबंध करने के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ख) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ग) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) ''न्यास'' से गांधी वाटिका न्यास, जयपुर की स्थापना और प्रबंध के लिए न्यास अभिप्रेत है।

3. न्यास के उद्देश्य.- न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,-

(क) गांधी वाटिका न्यास, जयपुर का प्रबंध और संचालन करना;

(ख) कला, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महात्मा गांधी के संदेशों की अभिवृद्धि करना;

(ग) महात्मा गांधी से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों, साहित्य, फोटोग्राफ, फिल्मों और वस्तुओं के संग्रहण और परिरक्षण के लिए पुस्तकालय का विकास और संचालन करना;

(घ) गांधीवादी विचार और दर्शन की अभिवृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाना और उनको कार्यान्वित करना; और

(ड.) महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों के माध्यम से जन-साधारण और समस्त वर्गों में जागरुकता सृजित करने के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित, इत्यादि करना।

4. न्यास का गठन.- (1) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, गांधीवादी कार्यों के लिए और समाज की बेहतरी के लिए स्वयंसेवा की अभिवृद्धि करने के लिए और संग्रहालय और सभी जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों के प्रत्यावर्तन, संरक्षण और प्रबंध करने के लिए गांधी वाटिका न्यास, जयपुर के नाम से एक निकाय गठित किया जायेगा।

(2) न्यास निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,-

(क)	मुख्यमंत्री	- अध्यक्ष;
(ख)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला गांधीवादी विचारक	- उपाध्यक्ष;
(ग)	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	- पदेन सदस्य;
(घ)	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग	- पदेन सदस्य;
(ड.)	प्रभारी शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग	- पदेन सदस्य;
(च)	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	- पदेन सदस्य;
(छ)	प्रभारी शासन सचिव, शांति और अहिंसा विभाग	- पदेन सदस्य;
(ज)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पन्द्रह गांधीवादी विचारक/सामाजिक कार्यकर्ता	- सदस्य;
(झ)	निदेशक, शांति और अहिंसा निदेशालय	- सदस्य; और
(ञ)	निदेशक, गांधी दर्शन संग्रहालय	- सदस्य–सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''प्रभारी शासन सचिव'' से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(3) न्यास का उपाध्यक्ष उन व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा जो गांधीवादी दर्शन के लिए समझ और प्रति बद्धता में रुचि प्रकट करते हैं। वह न्यास का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) उपाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष की होगी।

(5) न्यास, ''गांधी वाटिका न्यास, जयपुर'' के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, उसके पास जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित करने, धारित करने और व्ययनित करने, और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(6) धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसाकि विहित किया जाये।

(7) न्यास का प्रधान कार्यालय जयपुर में होगा।

5. सदस्यों के रूप में गांधीवादी विचारकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामनिर्देशन की प्रक्रिया.- (1) धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) में वर्णित सदस्यों के नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी।

(2) राज्य सरकार, पात्र व्यक्तियों में से, जिन्होंने इनके लिए आवेदन किया था, सदस्य नामनिर्दिष्ट करेगी,

6. नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि.- (1) धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि छः वर्ष की कालावधि के लिए होगी, और न्यास के नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृ त्त हो जायेंगे।

(2) न्यास के प्रथम बार सृजन पर, दूसरे और चौथे वर्ष के पश्चात् सदस्यों की सेवानिवृति लाटरी के ड्रॉ द्वारा की जायेगी।

(3) कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष को संबोधित स्वयं के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाये।

7. निरर्हताएं.- (1) कोई भी व्यक्ति नामनिर्दिष्ट सदस्य नहीं होगा, यदि वह-

(क) विकृतचित्त है या हो गया है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी है या रहा है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) दिवालिया है या किसी समय ऐसा न्यायनिर्णीत किया गया है।

(2) अध्यक्ष को उपाध्यक्ष की सिफारिश पर, किसी भी नामनिर्दिष्ट सदस्य को न्यास से हटाने का अधिकार होगा, यदि वह अवचार का दोषी पाया जाता है या जो नैतिक अधमता से अंतर्वलित अपराध के आरोपों में आरोपित किया गया है या अन्यथा अनुपयुक्त पाया जाता है।

8. रिक्ति इत्यादि के कारण सदस्यों के कार्यों की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.- सदस्यों का कोई भी कृत्य केवल न्यास में किसी रिक्ति या इसके गठन में दोष के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

9. न्यास में निहित संपत्ति.- समस्त संपत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, जो इसके पश्चात् न्यास के प्रयोजनों के लिए दी जा सकेगी, वसीयत की जा सकेगी, या अन्यथा अंतरित की जा सकेगी या उक्त प्रयोजनों के लिए अर्जित की जा सकेगी, न्यास में निहित होगी।

10. न्यास के कृत्य.- न्यास के निम्नलिखित कृत्य होंगे,-

(i) गांधीवादी आदर्शों और दर्शन की अभिवृद्धि करने के लिए क्रियाकलापों की योजना बनाना और कार्यान्वित करना;

(ii) महात्मा गांधी के जीवन और संदेश के प्रति जागरूकता सृजित करने की पहल को शैक्षणिक मीडिया जैसे प्रदर्शिनी, फिल्मों, पोस्टरों और कला, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिवृद्धि करना;

(iii) दुर्लभ पुस्तकों, साहित्य, फोटोग्राफ, फिल्मों और दस्तावेजों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए पुस्तकों के पुस्तकालय को विकसित करना और परिरक्षित करना;

(iv) महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण पुरावशेषों का संग्रहण, परिरक्षण और प्रदर्शन;

(v) गांधीवादी कार्य और समाज की बेहतरी के लिए स्वयंसेवा की अभिवृद्धि करना;

(vi) महात्मा गांधी के दर्शन और आदर्शों से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से हाशिए पर मौजूद लोगों को समर्थ बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना;

(vii) पुस्तकालय, संग्रहालय और उसमें की सभी जंगम और स्थावर संपत्तियों को आवश्यकता के अनुसार प्रत्या वर्तित, संरक्षित और प्रबंधित करना;

(viii) महात्मा गांधी और उनके द्वारा प्रचारित मूल्यों के बारे में विभिन्न वर्गों के लोगों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रकाशन लाना;

(ix) समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में गांधीवादी दर्शन पर अंतर्विषयक अनुसंधान संचालित करना; और

(x) पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं से सहकार करना और सहयोग प्राप्त करना।

11. न्यास की बैठकें और कार्यवाहियां.- (1) उपाध्यक्ष न्यास की बैठकों के आयोजन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) न्यास के अध्यक्ष को न्यास की आपात या आकस्मिक बैठक आहूत करने की शक्ति होगी।

(3) बैठकों में या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपस्थिति आबद्धकर होगी।

(4) बैठकों के लिए एक-तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(5) न्यास की बैठक प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

(6) यात्रा और वास सुविधा, भोजन, बैठक के दौरान अल्पाहार, न्यास के सदस्यों या न्यास की बैठकों में अन्य आवश्यक भागीदारों के व्यय और बैठकों के अन्य संबंधित व्यय न्यास द्वारा वहन किये जायेंगे।

(7) न्यास की बैठक के कार्यवृत्त बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर-भीतर जारी किये जायेंगे।

(8) न्यास के सभी विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिये जायेंगे और मतों के समान होने की स्थिति में, बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

12. न्यास के प्रशासनिक प्राधिकारी.- निदेशक, गांधी दर्शन संग्रहालय निदेशालय, न्यास कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होगा जो दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करेगा और उपाध्यक्ष के निदेश के अधीन कार्य करेगा।

13. प्रशासनिक संरचना.- प्रशासन के प्रयोजन के लिए न्यास के निम्नलिखित अनुभाग/कार्यालय होंगे:-

(क) उपाध्यक्ष का कार्यालय;

(ख) निदेशक, गांधी दर्शन संग्रहालय का कार्यालय;

(ग) प्रशासनिक अनुभाग;

(घ) वित्त और लेखा अनुभाग;

(ड.) अनुसंधान और विकास अनुभाग;

(च) संग्रहालय अनुभाग;

(छ) पुस्तकालय अनुभाग;

(ज) प्रकाशन अनुभाग;

(झ) कार्यक्रम (ईवेंट) और प्रदर्शनी अनुभाग; और

(ञ) सूचना और संसूचना अनुभाग।

14. न्यास के अधिकारी और कर्मचारिवृंद.- (1) न्यास ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जिन्हें वह न्यास के कृत्यों के संपादन के लिए आवश्यक समझे।

(2) न्यास के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

15. सदस्यों की शक्तियां.- सदस्य न्यास का प्रबंधन और नियंत्रण रखेंगे और उन्हें निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

(क) न्यास के उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्थावर संपत्ति क्रय और अर्जित करना;

(ख) न्यास से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थावर संपत्ति/संपत्तियों का विक्रय, बंधक या निपटान करना;

(ग) न्यास के उद्देश्यों और प्रशासन के संपादन के लिए उनकी अपनी राय में उपयोगी समस्त आवश्यक व्यय उपगत करना;

(घ) न्यास के एक या अधिक बैंक खाते किसी ऐसे बैंक या बैंको में खोलना जो सदस्य उचित समझें और बैंक खातों में न्यास का धन निक्षिप्त करना;

(ड.) न्यास के कृत्यों और प्रशासन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक और उपयोगी समस्त प्रकार के कर्मचारिवृंद का नियोजन करना; और

(च) साधारणतया न्यास की निधि में वृद्धि के मद्धे या न्यास के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक के लिए नकद या वस्तु के रूप में अभिदाय स्वीकार करना।

16. न्यास की विभिन्न समितियां.- न्यास की निम्नलिखित समितियां होंगी:-

(क) **प्रबंध समिति**- न्यास के कृत्यों का प्रबंध करने और न्यास की बैठकें संचालित करने के लिए;

(ख) **योजना समिति**- गांधीवादी मूल्यों की अभिवृद्धि करने के लिए नई स्कीमें बनाने और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए;

(ग) **गांधीवाद के प्रोन्नयन के लिए समिति**- गांधी के मूल्यों को पुर्नजीवित करने और कला और संस्कृति के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से उनका प्रसार करने के लिए;

(घ) **गांधीवादी मूल्यों के संरक्षण के लिए समिति**- महात्मा गांधी के जीवनकाल से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों, साहित्य, फोटोग्राफ और वस्तुओं के रखरखाव की दृष्टि से पुस्तकालय चलाने के लिए; और

(ड.) **प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण समिति**- शिक्षा और प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से और महात्मा गांधी के दर्शन और विचार के माध्यम से जन-साधारण और समस्त वर्गों में जागृति पैदा करने के लिए।

17. न्यास के लेखे.- (1) न्यास, न्यास के समस्त धन और आय और विनिधानों एवं समस्त व्ययों के सत्य और सही लेखे संधारित करेगा।

(2) लेखा वर्ष 1 अप्रेल से प्रारंभ और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

(3) न्यास, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से छह मास के अपश्चात्, न्यास के पूर्ववर्ती वर्ष की आय और व्यय दर्शित करने वाले लेखाओं को उल्लिखित करते हुए प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करेगा।

(4) न्यास के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट, द्वारा की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

18. न्यास की निधियां.- राज्य सरकार, गांधी वाटिका न्यास, जयपुर के नियमित, सुलभ और स्वतंत्र संचालन के लिए दस करोड़ रुपये की समग्र निधि सृजित करेगी जिसके ब्याज से न्यास अपने क्रियाकलाप संचालित करेगा। यह न्यास का उत्तरदायित्व होगा कि वह मूल समग्र निधि की रकम को संधारित करे।

19. लेखे और संपरीक्षा.- राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार न्यास, आय एवं व्यय को सम्मिलित करते हुए उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और न्यास के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

20. वार्षिक रिपोर्ट.- न्यास, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररुप में और ऐसे समय के भीतर-भीतर जो विहित किये जायें, पूर्व वर्ष के दौरान के उसके क्रियाकलापों का सत्य और पूर्ण लेखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेंगी और वह राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

21. न्यास के गठन से संबंधित विवाद.- यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है या नहीं या वह किसी समिति का सदस्य होने के लिए हकदार था या नहीं, तो मामला उपाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु ऐसा कोई विनिश्चय करने से पूर्व उससे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

22. विघटन.- न्यास के विघटन की दशा में, विघटन की तारीख पर न्यास की शेष आस्तियां किसी भी परिस्थिति में सदस्यों में वितरित नहीं की जायेंगी किन्तु उन्हें राज्य सरकार को अन्तरित किया जायेगा।

23. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिवस की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

24. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 18, 2023

No. F. 2(40)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Gandhi Vatika Trust, Jaipur Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 22):-

(Authorised English Translation)
THE GANDHI VATIKA TRUST, JAIPUR ACT, 2023
(Act No. 22 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 17th day of August, 2023)

An
Act

to provide for establishment of a Trust and for running museum under Trust's control and to maintain it, to provide maximum convenience to visitors, to promote volunteerism for Gandhian work and betterment of the society, to restore, protect and manage museum and all movable and immovable properties therein according to requirement and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "prescribed" means prescribed by rules under this Act;

(b) "rules" means rules made under this Act;

(c) "State Government" means the Government of the State of Rajasthan; and

(d) "Trust" means the Trust for the establishment and management of the Gandhi Vatika Trust, Jaipur.

3. Objects of the Trust.- The object of the Trust shall be,-

(a) to manage and operate the Gandhi Vatika Trust, Jaipur;

(b) to promote the messages of Mahatma Gandhi through art, culture and technology;

(c) to develop and operate a library for collection and preservation of rare books, literature, photographs, films and articles relating to Mahatma Gandhi;

(d) to make plans and implement them for the promotion of Gandhian thought and philosophy; and

(e) to educate, train, etc. for creating awareness among the general public and all classes through the philosophy and thoughts of Mahatma Gandhi.

4. Constitution of the Trust.- (1) With effect from such date as the State Government may appoint, by notification, there shall be constituted, for the purposes of this Act, a body by the name of the Gandhi Vatika Trust, Jaipur for promotion of volunteerism for

Gandhian work and betterment of the society and to restore, protect and manage museum and all movable and immovable properties.

(2) The Trust shall consist of the following,-

(a)	Chief Minister	-President;
(b)	Gandhian Thinker to be nominated by State Government	-Vice-President;
(c)	Chief Secretary, Government of Rajasthan	-Ex-officio Member;
(d)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Finance	-Ex-officio Member;
(e)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Art, Literature, Culture and Archeology	- Ex-officio Member;
(f)	Commissioner, Jaipur Development Authority	- Ex-officio Member;
(g)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Peace and Non-Violence	- Ex-officio Member;
(h)	fifteen Gandhian Thinkers/Social Workers to be nominated by State Government	- Members;
(i)	Director, Directorate of Peace and Non-Violence	-Member; and
(j)	Director, Gandhi Darshan Museum	-Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) The Vice-President of the Trust shall be nominated from amongst persons who evince interest in understanding and commitment to Gandhian philosophy. He shall be a whole time paid officer of the Trust.

(4) The term of the Vice-President shall be of five years.

(5) The Trust shall be a body corporate with perpetual succession by the name of the "The Gandhi Vatika Trust, Jaipur" and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue and be sued.

(6) Members nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 4 shall be given honorarium as may be prescribed.

(7) The head office of the Trust shall be at Jaipur.

5. Process for nomination of Gandhian Thinkers/Social Workers as Members.- (1) For the purpose of nomination of the members mentioned in clause (h) of sub-section (2) of section 4, the State Government shall invite applications from eligible persons through a public notice.

(2) The State Government shall nominate members from amongst the eligible persons who applied therefor.

6. Term of office of nominated Members.- (1) The term of office of members nominated under clauses (b) and (h) of sub-section (2) of section 4 shall be for a period of six years, and one third of the nominated members of the Trust shall retire after every two years.

(2) Upon creation of Trust for the first time, retirement of members after second and fourth year shall be done by draw of lots.

(3) A nominated member may resign from office by writing under his hand addressed to the President:

Provided that such resignation shall not take effect until it is accepted by the President.

7. Disqualifications.- (1) No person shall be a nominated Member if he-

(a) is, or becomes, of un sound mind or is declared by a competent court; or

(b) is, or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(c) is, or at any time has been, adjudicated as an insolvent.

(2) The President shall have right to remove from Trust, on the recommendation of Vice-President, any nominated member, if he is found guilty of misconduct or who has been charge-sheeted for the offence involving moral turpitude or is otherwise found to be unfit.

8. Validity of acts of Members not to be questioned by reason of vacancy, etc..- No act of the Members shall be deemed to be invalid merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Trust.

9. Property vested in Trust.- All the property, whether movable or immovable which may hereafter be given, bequeathed, or otherwise transferred for the purposes of the Trust or acquired for the said purposes shall vest in the Trust.

10. Functions of the Trust.- The functions of the Trust shall be,-

(i) to plan and carry out activities for the promotion of Gandhian ideals and philosophy;

(ii) to promote initiatives to create awareness on the life and message of Mahatma Gandhi through educational media like exhibition, films, posters, and different forms of Art, Culture and Technology;

(iii) to develop and preserve a library of books including rare books, literature, photographs, films and documents etc.;

(iv) to collect, preserve and exhibit important relics of Mahatma Gandhi;

(v) to promote volunteerism for Gandhian work and betterment of the society;

(vi) to focus on empowering the marginalized through different activities related to philosophy and ideals of Mahatma Gandhi;

(vii) to restore, protect and manage library, museum and all movable and immovable properties therein according to requirement;

(viii) to bring publication for various sections of people to enhance their knowledge about Mahatma Gandhi and the values he propagated;

(ix) to conduct inter-disciplinary research on Gandhian philosophy in the context of contemporary issues; and

(x) to cooperate and seek cooperation from other institutions for the aforesaid purposes.

11. Meetings and proceedings of the Trust.- (1) The Vice-President shall be responsible for organizing and managing the meetings of the Trust.

(2) The President of the Trust shall have the power to convene an emergency or sudden meeting of the Trust.

(3) The presence of either of the President or the Vice-President is mandatory in the meetings.

(4) A quorum of one-third of the members shall be necessary for meetings.

(5) The meeting of the Trust shall be held once in every six months.

(6) Travel and accommodation, food, refreshment during the meeting, expenses of the members of the Trust or other necessary participants in the meetings of the Trust and other related expenditures of meetings shall be borne by the Trust.

(7) Minutes of the meeting of the trust shall be issued within a period of ten days from the date of meeting.

(8) All the decisions of the Trust shall be taken by a majority of the members present and in case of equality of votes, the President of the meeting shall have the right to cast a casting vote.

12. Administrative Authorities of Trust.- The Director, Directorate of Gandhi Darshan Museum shall be the administrative head of the Trust office who shall conduct day to day work and shall work under the direction of the Vice-President.

13. Administrative Structures.- The Trust shall have the following sections/offices for the purpose of administration:-

(a) Vice-President's Office;
(b) Office of Director, Gandhi Darshan Museum;
(c) Administrative section;
(d) Finance and Accounts section;
(e) Research and Development section;
(f) Museum section;
(g) Library section;
(h) Publication section;
(i) Events and Exhibition section; and
(j) Information and Communication section.

14. Officers and staff of Trust.- (1) The Trust shall appoint such other officers and employees as it considers necessary to carry out the functions of the Trust.

(2) The salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of other officers and employees of the Trust shall be such as may be prescribed.

15. Powers of the Members.- The Members shall have the control and management of the Trust and have the following powers,-

(a) to purchase and acquire any immovable property of any kind for the object of the Trust;

(b) to sell, mortgage, or dispose of any immovable property/properties belonging to the Trust;

(c) to incur all expenditure necessary as in their own opinion useful for carrying out the objects and administration of the Trust;

(d) to open one or more bank accounts of the Trust with any Bank or Banks as the Members may deem fit and deposit money of the Trust in the Bank accounts;

(e) to employ staff of all kinds, necessary and useful for carrying out the functions and administration of the Trust; and

(f) to accept contributions in cash or in kind either by way of addition to the Trust funds generally or for any one or more of the specified objects of the Trust.

16. Various committees of the Trust.- The following shall be the committees of the Trust:-

(a) **Management Committee-** For managing functions of the Trust and conducting meetings of the Trust;

(b) **Planning Committee-** For making new schemes to promote values of Gandhism and ensuring their implementation;

(c) **Committee for Promotion of Gandhism-** For reviving Gandhi's values and spreading them through various platforms of art and culture and through education;

(d) **Committee for the Protection of Gandhian Values-** For running libraries with a view to maintain rare books, literature, photographs, and articles related to the lifetime of Mahatma Gandhi; and

(e) **Training and Capacity Building Committee-** For creating awareness among the general public and all classes through Philosophy and thought of Mahatma Gandhi through Education and training etc. .

17. Accounts of the Trust.- (1) The Trust shall maintain true and correct accounts of all the Trust moneys and of all the income and investments and all the expenses.

(2) The year of accounts shall be the financial year commencing from 1st April and ending on 31st March.

(3) The Trust shall issue each year a report setting out the accounts showing the income and expenditure of the Trust for the preceding year not later than six months from the end of the preceding year of accounts.

(4) The accounts of the Trust shall be audited every year by a Chartered Accountant who may be appointed for the purpose.

18. Funds of the Trust.- The State Government shall create a corpus fund of Rupees 10 crore for the regular, convenient and independent operation of the Gandhi Vatika Trust, Jaipur with the interest of which the Trust shall conduct its activities. It shall be the responsibility of the Trust to maintain the original corpus fund amount.

19. Accounts and audit.- The Trust shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts of the Trust including the income and expenditure in accordance with direction as may be issued by the State Government.

20. Annual report.- The Trust shall prepare every year, in such form and within such time as may be prescribed an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the State Government and that State Government shall cause the same to be laid before the House of State Legislature.

21. Disputes as to Constitution of Trust.- If any questions arise as to whether any person has been duly nominated or not or is entitled to be a member of any committee, the matter shall be referred to the Vice-President, whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision the person affected thereby shall be given a reasonable opportunity of being heard.

22. Dissolution.- In the event of dissolution of the Trust, the assets of the Trust remaining on the date of dissolution shall under no circumstance be distributed among the Members, but the same shall be transferred to the State Government.

23. Power of State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

24. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, as occasion requires, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to them to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid before the House of the State Legislature.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।